185/2012

काश्तकार / सरकार
धारा-88,188,91,212 RTA

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

1/3/26 उभयपक्ष में से वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उप०। प्रतिवादी सं० 2 की ओर से वकील श्री गिरीश पारीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/4/26 को पेश हो।

[signature]
सहायक कलेक्टर (मु॰), अजमेर

13/4/26 उभयपक्ष के वकील उप०। आज आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/4/26 को पेश हो।

[signature]
सहायक कलेक्टर (मु॰), अजमेर

आज दिनाक 21/4/26 को जिला / राजस्व बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनाक 1/5/26 को पेश हो।

आदेशानुसार
[signature]
न्यायालय पेशकार (रीडर)
सहायक कलक्टर(मु॰) अजमेर

1/5/26 उभयपक्ष के वकील उप०। आदेश सुनाया गया। वादीगण का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं संग्रहागार हो।

[signature]
सहायक कलेक्टर (मु॰), अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या–185/2012 (167/1996)
पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

1– श्री नियामत अली खां पुत्र श्री सिकन्दर खां पौत्र श्री मेहफूल खां (तर्क किया)
2– श्री कासम खां पुत्र श्री शाहनूर खां
दोनों जाति मुसलमान, निवासी रसूलपुरा, तहसील व जिला अजमेर

.....वादीगण

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2– नगर सुधार न्यास जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, अजमेर
(वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1– श्री निर्मल कुमार जैन, वकील वादीगण की ओर से।
2– श्री गिरीश पारीक, वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–01.05.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रसूलपुरा तहसील अजमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 26 नया खसरा संख्या 12 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 01–11–0 बीघा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 01–0–0 बीघा भूमि पर वादीगण पुश्तैनी दर पुश्तैनी समय से निरन्तर काबिज चले आये हैं, जिसके वादीगण कानूनी खातेदार हैं। ग्राम रसूलपुरा शामलातदेह का गांव था तथा वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि को शामलातदेह कमेटी के समय से मौके पर भारी सुधार व विकास कर वादीगण के खातेदारी चाह से सिंचाई कर वादग्रस्त आराजी को काश्त करते आये हैं व भूमि को चाही भूमि बनाकर गेहूं, मक्का व अन्य फसलें पैदा करते आये हैं। वादीगण एवं उनके पूर्वज का खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में एवं निरन्तर नाम व कब्जा काश्त दर्ज चला आया है। खसरा संख्या पुराना 26 हाल खसरा संख्या 11 कमजोर पैदावार की भूमि होने से वर्षा होने पर वादीगण घास आदि की फसलें लेते आये हैं तथा मौके पर खेती का सामान रखने एवं बाड़नुमा होने से पशुओं को रखने के उपयोग में लिया जाता रहा है। उक्त आराजी का भी राजस्व रिकॉर्ड, खसरा गिरदावरियों में वादीगण के नाम उल्लेख है। इस प्रकार अजमेर टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के कानूनन खातेदार हैं तथा अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय, उससे पूर्व व पश्चात निरन्तर काबिज चले आये हैं। ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 बी के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी के कानूनी खातेदार है जिसकी हकूक खातेदारी की घोषणात्मक आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वांछित है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वादग्रस्त आराजी के वादीगण को सम्वत 2027, 2028 सन् 1971–72 में दौराने भू–संशोधन हकूक खातेदारी अधिकार दिये गये थे। भू–संशोधन रिकॉर्ड के अनुसार हक खातेदारी वादीगण प्राप्त करने के हकदार हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा प्रतिपादित आदेश के सिद्धांतों के अनुसार यदि भू–संशोधन रिकॉर्ड में हक खातेदारी दी गई, उन परिस्थतियों में वादीगण हक खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक हैं, परन्तु प्रतिवादी एवं भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल वर्किंग जमाबन्दी में विवादित भूमि को नियमों के प्रतिकूल सिवायचक दर्ज कर दी गई। वादकारण सर्वप्रथम दिनांक 13.12.1996 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी एवं पटवारी हल्का से भूमि सिवायचक दर्ज होने की जानकारी हुई। उसके पश्चात दिनांक 17.12.1996 को उत्पन्न हुआ जब कानूनी नोटिस धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत दिया गया। उसके पश्चात हर रोज उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी व उनके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही कर विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर अपने हक हकूक, अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, जिससे वादीगण को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा एवं प्रतिवादी की बजाय वादीगण को भारी तुलनात्मक परेशानी होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय, राजस्व रिकॉर्ड एवं प्राकृतिक न्याय आदि वादीगण के पक्ष में है तथा प्रतिवादी के खिलाफ है। वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण को ग्राम रसूलपुरा तहसील अजमेर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर पुराना 26 नया खसरा संख्या 12 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 01–11–0 बीघा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 01–0–0 बीघा भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत करने तथा वादीगण को बेदखल करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द करने की इस्तदुआ की है। वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए वादी संख्या 1 श्री नियामत अली खां का स्वर्गवास हो जाने पर वाद पत्र से उनका नाम तर्क किया गया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जबाब पेश किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 फॉर्मल पक्षकार हैं। वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने दिनांक 24.01.2005 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर वादग्रस्त आराजियात जरिये नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 02.06.2004 से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से आवश्यक पक्षकार होने के कारण नगर सुधार न्यास जरिये सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। वादीगण के प्रार्थना पत्र पर नगर सुधार न्यास, अजमेर की ओर से दिनांक 17.03.2005 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना हित रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 मुर्तिब करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना जाकर दिनांक 19.04.2005 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नगर सुधार न्यास, अजमेर को प्रतिवादी संख्या 2 बनाये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त यदि आराजी शामलात देह की थी तो वादी व उसके पूर्वजों को जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन के प्रभाव में आते ही समय रहते हक बाबत सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देकर दुरूस्ती की कार्यवाही कराई जानी चाहिये थी किन्तु आराजी चरागाह थी, जिसको तक्सीम करने का शामलात देह को कोई हक व अधिकार नहीं था। आराजी वादी व उसके पूर्वज के कब्जे काश्त में नहीं थी एवं ना ही कभी उनका आराजी

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पर कोई वैध हक व अधिकार रहा। जब वादीगण का भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो धारा 91 'क' की कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ना ही वादीगण व उसके पूर्वज ने कभी कोई लगान अदा किया। ऐसी दशा में उसका कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा। इस प्रकार ना तो वादी के हित प्रभावी होते हैं व ना ही किसी प्रकार से क्षति कारित होती है। वादी व उसके पूर्वज ने शामलात देह का कोई सबूत व सजरा पेश नहीं किया कि किस बिनाह पर कथित अधिकार वादी व उसके पूर्वजों को दिया। विवादित आराजी को हथियाने की नीयत से कब्जा कर भू–संशोधन में अपना नाम कराया जो अवैध व अनाधिकृत है एवं भू–संशोधन को ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं है। भू–संशोधन की कार्यवाही को अजमेर तहसील में कतई मान्यता नहीं है एवं नियम विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड में किया गया इन्द्राज अमान्य होने से निरस्तनीय है। वादी बिना विधिक नोटिस की तामीली के विवादित आराजी बाबत डिक्री का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संस्थापित करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी यू0आई0टी0 (वर्तमान ए0डी0ए0) के आधिपत्य व कब्जे में चली आ रही है। वादी व उसके पूर्वज बिना आवंटन के भूमि पर कब्जा कर सुधार व विकास करने के कतई अधिकारी नहीं थे। यदि वे शामलात देह के कभी शिकमी काश्तकार होते तो समय रहते काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आते ही तत्समय ही खातेदारी हक प्राप्त कर लेते। सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय व राजस्व रिकॉर्ड तथा प्राकृतिक न्याय वादीगण के पक्ष में न होकर योजना की क्रियान्विति का निष्पादन जनहित में होने में निहित है। यदि वादीगण को खातेदारी हक दिये जाते हैं तो योजना की आरक्षित दर में अनावश्यक वृद्धि होगी, जिससे भूखण्ड आवंटियों के हित भविष्य में प्रभावी होंगे। यह कथन करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जब 1988 से प्रतिवादी का आधिपत्य चला आ रहा है तो धारा 98 का नोटिस खातेदार ने प्रतिवादी संस्था को क्यों नहीं दिया, जिसके अभाव में दावा निरस्त योग्य है। वाद की पैरा संख्या 10 में वर्णित दिनांक के नोटिस से प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। नगर सुधार न्यास (वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण) एक अर्द्धशासकीय सार्वजनिक संस्था है जिसका गठन यू0आई0टी0 एक्ट 1959 के प्रावधानानुसार हुआ है एवं वादग्रस्त आराजी संस्था की दीपक नगर योजना का भाग है, जिसकी धारा 32(1) की अधिसूचना दिनांक 15.09.1990 को हुई तथा धारा 33 व 4(1) 6(1) का गजट दिनांक 19.12.91 व 07.01.93 को प्रकाशित करते हुए खातेदारी भूमि का अवार्ड दिनांक 10.03.95 को पारित किया गया, तब वादीगण ने कोई आपत्ति व उज्र प्रस्तुत नहीं किया। अन्त में जवाब वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र को मय खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी बिन्दु 1 में वर्णित आराजियात खसरा नंबर पुराना 26 खसरा नंबर नया 12, 13, 14 व 11 का पुश्तैनी खातेदार है।

–जिम्मे वादी

2. आया वादी की खातेदारी भूमि सिवायचक वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई है। उसकी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

–जिम्मे वादी

<u>अतिरिक्त तनकीयात</u>

1. आया विवादित भूमि के सन्दर्भ में प्रस्तुत विचाराधीन वाद में प्रतिवादी नगर सुधार न्यास के नाम वादी को बिना सूचित किये गये हस्तान्तरण की गई के आधार पर नामान्तरकरण नं0 155 दिनांक 02.06.2004 शून्य है।

–जिम्मे वादी

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

2. आया जवाब दावे के अनुसार विवादित भूमि अवाप्तशुदा होने से वादी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जिला कलक्टर अजमेर को दिया गया नोटिस प्रदर्श–पी0 1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 से 2019 प्रदर्श–पी0 2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2035 से 2037 प्रदर्श पी0–3, खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2021 प्रदर्श–पी0 5, खसरा गिरदावरी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श पी0–6, खसरा गिरदावरी सम्वत 2043 से 2046 प्रदर्श पी0–7, सेटलमेन्ट पर्चा प्रदर्श पी0–4, धारा 91 का नोटिस दिनांक 03.11.97 प्रदर्श पी0–8, दिनांक 21.11.96 प्रदर्श पी0–9, दिनांक 28.12.93 प्रदर्श पी0–10, दिनांक 28.02.2000 प्रदर्श पी0–11, दिनांक 07.06.04 प्रदर्श पी0–13, दिनांक 18.09.03 प्रदर्श पी0–14, दिनांक 18.09.01 प्रदर्श पी0–15, दिनांक 11.10.04 प्रदर्श पी0–16, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी0–12 एवं वर्किंग जमाबन्दी प्रदर्श पी0–17 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0 डब्ल्यू–1 श्री सिराजुद्दीन पुत्र श्री सवदल खां व पी0 डब्ल्यू–2 श्री गनी मोहम्मद पुत्र श्री खुदाबख्श खां के बयान लेखबद्ध करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.04.2010 व 13.05.2010 को साक्ष्य वादी जिरह की गई। वादी साक्ष्य पूर्ण होने पर दिनांक 13.05.2010 को वादी साक्ष्य बंद की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी को बार–बार साक्ष्य हेतु समय दिये जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व विधिक प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है :–

1– आया वादी बिन्दु 1 में वर्णित आराजियात खसरा नंबर पुराना 26 खसरा नंबर नया 12, 13, 14 व 11 का पुश्तैनी खातेदार है।

–जिम्मे वादी

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– इस तनकी को सिद्ध किये जाने का भार वादीगण पर रहा है। जिसके सम्बन्ध में वादी ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या पुराना 26 नया खसरा संख्या 12 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 01–11–0 बीघा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 01–0–0 बीघा भूमि पर वादीगण का पुश्तैनी दर पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आया है एवं वे कानूनी खातेदार हैं। उनके पूर्वजों द्वारा शामलात देह कमेटी के समय से ही अपनी खातेदारी चाह से सिंचाई कर वादग्रस्त आराजी को भारी सुधार व विकास कर काश्त करते हुए गेहूं, मक्का व अन्य फसल काश्त की जाती रही है। फलस्वरूप वादीगण व पूर्वजों का नाम खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में एवं निरन्तर नाम व कब्जा काश्त दर्ज चला आया है। अजमेर टिनेन्सी एक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 बी अनुसार वादीगण आराजी के कानूनन खातेदार हैं। वादग्रस्त आराजी के वादीगण को सम्वत 2027, 2028 सन् 1971–72 में दौराने भू–संशोधन हकूक खातेदारी अधिकार दिये गये थे परन्तु प्रतिवादी एवं भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल वर्किंग जमाबन्दी में विवादित भूमि को नियमों के विपरीत जाकर सिंचायचक दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात प्रतिवादी व उनके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा वादीगण को आराजी से बेदखल करने हेतु उनके विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही कर नोटिस जारी किये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार हालांकि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या पुराना 26 नया खसरा संख्या 12 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 01–11–0 बीघा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 01–0–0 बीघा भूमि

सहायक कलक्टर (मु.)

पर वादीगण व उनके पूर्वज पुश्तैनी समय से ही काबिज काश्त चले आये है किन्तु उनके विरूद्ध लगातार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही होती रही है। वादीगण स्वयं द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजियात हमेशा ही सिवायचक/चरागाह के रूप में राजकीय खाते में दर्ज रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण व उनके पूर्वज इस भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज रहे हैं। केवल मात्र कब्जे के आधार पर इन्हे पुश्तैनी खातेदार नहीं माना जा सकता। जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2– आया वादी की खातेदारी भूमि सिवायचक वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई है। उसकी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

–जिम्मे वादी

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– इस तनकी को सिद्ध किये जाने का भार वादीगण पर रहा है। जिसके सम्बन्ध में वादी ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या पुराना 26 नया खसरा संख्या 12 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 0–15–0 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 01–11–0 बीघा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 01–0–0 बीघा भूमि पर उनका पुश्तैनी समय से ही कब्जा काश्त रहा है। वादीगण व पूर्वजों का नाम खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में एवं निरन्तर नाम व कब्जा काश्त दर्ज रहा है। अजमेर टिनेन्सी एक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 बी अनुसार वादीगण आराजी के कानूनन खातेदार हैं। वादग्रस्त आराजी के वादीगण को सम्वत 2027, 2028 सन् 1971–72 में दौराने भू–संशोधन हकूक खातेदारी अधिकार दिये गये थे परन्तु प्रतिवादी एवं भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल वर्किंग जमाबन्दी में विवादित भूमि को नियमों के प्रतिकूल सिवायचक दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी व उनके अधीनस्थ अधिकारीगण इसकी आड़ में वादीगण को उक्त आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है। फलस्वरूप वादीगण को अपने हक हकूक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा एवं भारी आर्थिक नुकसान भी होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत करने तथा वादीगण को बेदखल करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त आराजियात प्रारम्भ से ही राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक/चरागाह दर्ज रही है। तनकी संख्या 1 में सिद्ध हो चुका है कि वादीगण व इनके पूर्वज वादग्रस्त आराजियात में अतिक्रमी के रूप में ही काबिज काश्त रहे हैं एवं समय–समय पर इनके विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही है। वादीगण व उनके पूर्वज की इस भूमि में कभी कोई खातेदारी दर्ज नहीं रही है। बल्कि वादग्रस्त आराजियात सिवायचक होने के कारण जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 46 दिनांक 28.07.1988 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन(आरक्षण) किया गया है एवं उक्त आदेश की पालना में ही वादग्रस्त आराजियात जरिये नामान्तरकरण सांख्या 155 दिनांक 02.06.2004 से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम स्वीकृत होने से राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है एवं कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिससे तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

अतिरिक्त तनकीयात

1- आया विवादित भूमि के सन्दर्भ में प्रस्तुत विचाराधीन वाद में प्रतिवादी नगर सुधार न्यास के नाम वादी को बिना सूचित किये गये हस्तान्तरण की गई के आधार पर नामान्तरकरण नं0 155 दिनांक 02.06.2004 शून्य है।

–जिम्मे वादी

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– उपरोक्त तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तय हो चुकी है एवं यह सिद्ध हो चुका है कि वादीगण वादग्रस्त सिवायचक आराजियात पर केवल मात्र अतिक्रमी के रूप में काबिज रहे हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजियात सिवायचक होने के कारण जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 46 दिनांक 28.07.1988 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन (आरक्षण) किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 02.06.2004 नगर सुधार न्यास, अजमेर के पक्ष में स्वीकृत होकर वर्किंग जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के कारण आराजियात के हस्तान्तरण से पूर्व वादीगण द्वारा उन्हे सूचित किये जाने का कथन/तथ्य औचित्यहीन व आधारहीन है। अतः अतिरिक्त तनकी संख्या 1 भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2– आया जवाब दावे के अनुसार विवादित भूमि अवाप्तशुदा होने से वादी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– उपरोक्त तनकी संख्या 1, 2 व अतिरिक्त तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय हो चुकी है एवं यह भी सिद्ध हो चुका है कि वादीगण वादग्रस्त सिवायचक आराजियात पर केवल मात्र अतिक्रमी के रूप में काबिज रहे हैं। वकील प्रतिवादी संख्या 2 का कथन है कि उक्त तनकी तत्समय सहवन से त्रुटिवश कायम हुई है क्योंकि वादग्रस्त आराजियात प्रारम्भ से ही सिवायचक/चरागाह भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। इस तथ्य की पुष्टि वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों एवं वर्किंग जमाबन्दी से स्वतः ही होती है। वादग्रस्त आराजियात तत्समय से ही सिवायचक/चरागाह भूमि होने एवं अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज होने से वादीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 1 व 2 के विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद साबित नहीं होता है, जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या–217/2012 (77/2002)
पीठासीन अधिकारी–रतन कौर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1– श्री नियामत अली खां पुत्र श्री सिकन्दर खां पौत्र श्री मेहफूल खां (तर्क किया)
2– श्री कासम खां पुत्र श्री शाहनूर खां
दोनों जाति मुसलमान, निवासी रसूलपुरा, तहसील व जिला अजमेर

.....वादीगण

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2– नगर सुधार न्यास जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, अजमेर
(वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री निर्मल कुमार जैन, वकील वादीगण की ओर से।
2– श्री गिरीश पारीक, वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक–01.05.2026

उभयपक्ष वकील असालतन स्वयं उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 01.05.2026 को पीठासीन अधिकारी रतन कौर, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर